



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, ब्रिटिश शासन से 14 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण की परम्परा को दोहराते हुये इस महत्वपूर्ण दिन के ऐतिहासिक एवं पवित्र प्रतीक "सेंगोल" अर्थात् राजदण्ड को स्वीकार करेंगे। नये संसद भवन के लोकार्पण के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी इस ऐतिहासिक परम्परा को एक बार फिर दोहराएंगे। ऐतिहासिक "सेंगोल" को बाद में लोकसभाध्यक्ष के शासन के निकट स्थापित किया जायेगा। उस समय इस महान भारतीय परम्परा का निर्वहण करने के लिए ब्रिटिश वाइसरॉय खुद भारत आये थे और उन्होंने 14 अगस्त 1947 को यह पवित्र प्रतीक प्र.मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को सौंपा था।

ऐतिहासिक "सेंगोल" (राजदण्ड) को नये संसद भवन में स्थापित करेंगे प्र.मंत्री मोदी

14 अगस्त 1947 के दिन सत्ता हस्तांतरण करते समय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउन्टबेटन ने यह राजदण्ड सौंपा था

नई दिल्ली, 24 मई। नए संसद भवन के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, 14 अगस्त 1947 की सत्ता हस्तांतरण की परम्परा को दोहराते हुए पवित्र "सेंगोल" (राजदण्ड) को स्वीकार करेंगे, जिसे बाद में लोकसभाध्यक्ष के आसन के निकट स्थापित किया जाएगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि, आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी अनेक लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के समय प्राचीन भारतीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य से सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में पवित्र "सेंगोल" को स्वीकार किया गया था। उन्होंने कहा कि, ब्रिटिश सरकार ने इस विशेष अवसर और परंपरा के लिए वाइसरॉय लॉर्ड माउन्टबेटन को भारत भेजा था। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने अपने आवास पर लॉर्ड माउन्टबेटन की मौजूदगी में तमिलनाडु के अधिपति से आये धार्मिक

पंडित नेहरू ने अपने आवास पर लॉर्ड माउन्टबेटन की मौजूदगी में तमिलनाडु के अधिपति से आये धार्मिक शिष्टमंडल से सेंगोल को स्वीकार किया था।

गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि, सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेमई शब्द से बना है जिसका अर्थ नीति परायणता है। उन्होंने कहा कि, सेंगोल न्याय और नीति पर आधारित शासन के भाव से जुड़ा है।

शिष्टमंडल से सेंगोल को स्वीकार किया था।

शाह ने कहा कि सेंगोल भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा है और इसका संबंध आठवीं सदी के चोल साम्राज्य से है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेमई शब्द से बना है जिसका अर्थ नीति परायणता है। उन्होंने कहा कि, सेंगोल न्याय और नीति पर आधारित शासन के भाव से जुड़ा है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आगामी रविवार को जब प्रधानमंत्री नये संसद भवन का उद्घाटन करेंगे तो तमिलनाडु के 20 अधिपति के अध्यक्ष मोदी को यह सेंगोल प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह पवित्र सेंगोल

न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था का प्रतीक है इसलिए इसकी जगह संग्रहालय के बजाय संसद भवन होनी चाहिए।

शाह ने बताया कि, यह सेंगोल अब तक इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रखा था। शाह ने 75 वर्ष पुरानी इस ऐतिहासिक घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सत्ता हस्तांतरण से पहले लॉर्ड माउन्टबेटन ने पंडित नेहरू से इस मौके पर किये जाने वाले विशेष समारोह के बारे में पूछा तो पंडित नेहरू ने भात रत्न और महान स्वतंत्रता सेनानी तथा विचारक सी राजगोपालाचारी के साथ सलाह की। राजगोपालाचारी ने पंडित नेहरू को सत्ता के हस्तांतरण से संबंधित भारत की

प्राचीन परंपरा सेंगोल के बारे में बताया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि, इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए पंडित नेहरू को ब्रिटिश साम्राज्य से सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर, पूर्ण विधि विधान से यह सेंगोल प्रदान किया गया था। उन्होंने कहा कि, उस समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तथा देश के मीडिया ने सेंगोल के बारे में विस्तार से समाचार प्रकाशित किये थे।

उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 के बाद यह सेंगोल ओझल हो गया तथा 1978 में दक्षिण के परमाचार्य ने अपने एक अनुयायी को सेंगोल के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद से यह इलाहाबाद के संग्रहालय में था। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इन सब बातों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इस बारे में विस्तार से अध्ययन तथा जांच कराने के बाद इस परंपरा को दोबारा जीवंत कर का निर्णय लिया।

शाह ने इस मौके पर सेंगोल से संबंधित एक वेबसाइट भी शुरू की जिस पर सेंगोल से संबंधित सभी जानकारी विस्तार से उपलब्ध है।

पार्सल नहीं पहुंचा....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिवाद दायर करने की तारीख से नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा व सदस्य श्रीचंद तैतलवाल ने यह आदेश नगर मल शर्मा के परिवाद पर दिया। परिवाद में कहा गया कि 9 मार्च 2022 को परिवादी ने उमर टेक्सटाइल्स से 9,450 रुपये की साडी खरीदी और उसे पानीपत पहुंचाने के लिए विपक्षी कार्यों के जरिए बुकिंग करवाई। कई दिनों तक पार्सल नहीं पहुंचा तो उसने कार्गो कम्पनी से बातचीत की, लेकिन कम्पनी टालमटोल करती रही। परिवादी ने पार्सल वापस मांगा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और उसके साथ अप्रदत्त की गई। परिवादी ने उपभोक्ता अदालत में चुनौती देते हुए पार्सल की राशि हर्जाने सहित इलवावा जाने का आग्रह किया। आयोग ने विपक्षी को नोटिस दिया, लेकिन ना तो उसने कोई जवाब दिया और ना ही उसकी ओर से कोई उपर्तिष्ठ हुआ, जिस पर आयोग ने दस्तावेज व साक्ष्यों पर विपक्षी कार्यों कंपनी को पार्सल की राशि लौटाने का निर्देश देते हुए उस पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।

रेल वेगन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ने भी अपने रायबरेली प्लांट, जो आईआर की उत्पादन इकाई है, में पहियों का निर्माण शुरू कर दिया है। आईआर के सूत्रों ने कहा "2300 करोड़ रु0 की लागत से स्थापित इस प्लांट में 100,000 पहिये प्रतिवर्ष बनाने की क्षमता है लेकिन उत्पादन काफी कम रहा है तथा उत्पादन लागत बहुत ज्यादा आई है क्योंकि आर आई एन एल ईजीनियर इसके उतने ज्यादा विशेषज्ञ नहीं थे। पिछले वर्षों में, आईआर की कोशिश रही कि प्रड्रैवेट निवेशक आर आई एन एल का अधिग्रहण कर लें, लेकिन आईआर को इसमें कामयाबी नहीं मिली। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है, "जहाँ रामकृष्ण-टैटागढ़ प्लांट को उत्पादन शुरू करने में दो वर्ष लगे, वहीं आर आई एन एल प्लांट की उत्पादन क्षमता पहले दिन से ही बढ़ जायेगी। सरकार, प्रड्रैवेट निवेशकों को आकर्षित करने के लिये, सब्सिडी के रूप में "लाइबिलिटी गैप फंडिंग" की पेशकश कर सकती थी। दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं किया गया।"

'प्रजातंत्र की आत्मा, खींच कर, संसद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का उद्घाटन स्वयं करेंगे, हमारे लोकतंत्र का न केवल घोर अपमान, बल्कि इस पर सीधा हमला है तथा (यह स्थिति) इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की माँग करती है।"

विपक्षी दलों ने कहा है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 79 में कहता है कि "संघ के लिये एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति तथा दो सदन होंगे जो क्रमशः कार्गिसिल ऑफ स्टेट्स (राज्यसभा) तथा हाउस ऑफ द पीपुल (लोकसभा) के नाम से जाने जायेंगे।"

वक्तव्य कहता है, "राष्ट्रपति न केवल भारत के "हेड ऑफ द स्टेट" हैं, बल्कि संसद का अभिन्न अंग हैं। वे संसद को आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं तथा संबोधित करते हैं। संसद के अधिनियम के लागू होने के लिये उनकी मंजूरी जरूरी होती है। संक्षेप में, संसद का काम-काज राष्ट्रपति के बिना नहीं हो सकता। फिर भी, प्रधानमंत्री ने उनके बिना नये संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय ले लिया है। यह

मर्यादाहीन कृत्य राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान तथा संविधान की भावना का उल्लंघन करने वाला है। यह समावेश की भावना जिसने राष्ट्र को अपनी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का जन्म मनाते देखा था, की जड़ काटना है।"

बयान में आगे कहा गया है कि "अलोकतांत्रिक कृत्य प्रधानमंत्री के लिये नये नहीं है, जिन्होंने संसद को बड़ी निष्ठुरता के साथ खोखला कर दिया है।"

विपक्षी दलों ने कहा है कि संसद के विपक्षी सदस्यों ने जब भारत की जनता के मुद्दे उठाये तो उन्हें डिस्कवालिफाइड, निलम्बित तथा खामोश कर दिया गया है।

इन दलों ने कहा, "सत्ता पक्ष के सांसदों ने संसद विधेयक, जिनमें तीन कृषि विधेयक भी शामिल हैं, तकरबन किया बहस के पारित कर दिये गये हैं तथा ससदीय कमेटीयों, व्यवहारिक स्तर पर समाप्त कर दी गई हैं। नया संसद भवन, सार्दियों में एक बार होने वाली महामारी के दौरान, बहुत बड़ी धमराई

खर्च करके बनवाया गया तथा इसके लिये भारत की जनता, अर्थात् सांसदों से विचार-विमर्श तक नहीं किया गया, जिनके वास्ते यह बनवाया गया है।"

विपक्षी दलों ने यह टिप्पणी करते हुये कि संसद से लोकतंत्र की आत्मा चूस ली गई है, कहा, "इस प्रकार इस नये भवन का कोई महत्व नहीं है। हम इस स्वैच्छाचारी प्रधानमंत्री तथा उसकी सरकार के खिलाफ पूरे मन एवं दृढ़ता से लड़ते रहेंगे तथा अपना संदेश सीधे भारत की जनता तक पहुँचायेंगे।"

टी.एम.सी., आप तथा सी.पी.आई ने बहिष्कार की घोषणा मंगलवार को ही कर दी थी। चार पार्टियों- ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बी.जे.डी., तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव की बी.आर.एस., आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाय.एस. जगामोहन रेड्डी की वाय.एस.आर.सी.पी. तथा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बसपा ने शेष विपक्ष के साथ शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। ये चारों ही दल, प.न.डी.ए. शासनकाल में केन्द्र

'पानी की टंकी' वाली वन भूमि का सर्वे करेगी हाई कोर्ट द्वारा गठित पांच सदस्यों की कमेटी

न्यायालय के आदेश पर बनी यह कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को सौंपेगी

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर, 24 मई। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ क्षेत्र में वन भूमि पर जलदाय विभाग द्वारा अवैध तरीके से वॉटर टैंक बनाने का मामला तूल पकड़ गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में मनेज जाँगिड द्वारा जर्नलिट याचिका (पी.आई.एल.) दायर की गई थी, मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर इस भूमि का टाइटल वॉचने के लिए पांच सदस्यों की संयुक्त जांच कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में जलदाय, राजस्व, वक्फ बोर्ड, वन विभाग के अधिकारी और पी.आई.एल. दायर करने वाले मनेज जाँगिड अथवा उनके प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। यह जांच समिति विवादित भूमि का संयुक्त सर्वे करके

इस कमेटी में जलदाय, राजस्व, वक्फ बोर्ड, वन विभाग और पी.आई.एल. दायर करने वाले प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं।

अगले 3 दिन में अपनी रिपोर्ट जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को सौंपेगी।

कलेक्टर द्वारा 23 मई को आदेश जारी कर गठित की गई इस कमेटी में उप वन संरक्षक जयपुर, जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियंता, तहसीलदार जयपुर, वक्फ बोर्ड के

क्षेत्रीय अधिकारी और पी.आई.एल. दायर करने वाले मनेज जाँगिड अथवा उनके प्रतिनिधि को जोड़ा गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि, उपवन संरक्षक जयपुर के द्वारा अवगत कराया गया है कि, वनखंड बूढ़ा लाइन आमेर-54 की भूमि 21 नवंबर 1961 को विज्ञापित जारी कर आरक्षित वन घोषित किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी कर 2 मार्च 1972 को इस वनखंड भूमि में से कुछ खसरो की भूमि को नगर विकास न्याय को स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन वन विभाग के पास उक्त भूमि का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में जलदाय विभाग द्वारा जिस भूमि पर पानी की टंकी का निर्माण

किया जा रहा है, वह वन भूमि है। ऐसे में इन पांच सदस्यों की जांच समिति उक्त भूमि का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

ज्ञात रहे कि गत 19 मई को राजस्थान हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन ने मनेज कुमार ने वन विभाग, जलदाय विभाग तथा वक्फ बोर्ड के अफसरों व प्रतिनिधियों को निर्देश दिया था कि, अगली तारीख तक इस भूमि के सही निर्धारण के साथ बनाए गए नक्शे समेत जवाब अदालत में पेश करें। अदालत ने इस मामले की अगली तारीख 30 मई तक की है।

अडानी ग्रुप की वियतनाम में 3 बिलियन डॉलर के निवेश की योजना

नई दिल्ली, 24 मई। उद्योगपति गौतम अडानी समूह वियतनाम में पोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में 3 बिलियन डॉलर तक निवेश करने की संभावना तलाश रहा है। वियतनाम सरकार ने एक बयान में यह जानकारी दी है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अडानी पोर्ट्स के सीईओ करण अडानी और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भी अडानी समूह के निवेश के संकेत दिए।

इस मुलाकात के बाद करण अडानी ने कहा कि भारत की बड़ी कंपनियों के लिए यह देश अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने को तैयार है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने अडानी समूह का देश में स्वागत किया है। ऐसा माना जा रहा है कि वियतनाम में अडानी समूह लंबी अवधि में 10 बिलियन तक निवेश कर सकता है।

इस बीच, बुधवार को अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स का शेयर 2.13 प्रतिशत तक गिर गया। ग्रुप की सात कंपनियों के शेयर बुधवार को नुकसान में बंद हुए।

कैलाश सत्यार्थी ने 41 बाल मजदूर मुक्त कराये

ये बच्चे आजाद मार्केट (दिल्ली) की फैक्ट्रियों में पिछले काफी समय से बाल मजदूरी कर रहे थे

नयी दिल्ली, 24 मई (वार्ता)। देश में बच्चों के हित और उनके अधिकारों के लिए काम करने वाली नोबल पुरुस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीओ) के प्रयासों और पुलिस की मदद से राजधानी दिल्ली के आजाद मार्केट में कई फैक्ट्रियों में काम करने वाले 41 बाल मजदूरों को आजाद कराया गया है।

बच्चों के दुर्व्यापार और बाल मजदूरी की खतरनाक समस्या पर बीबीओ के निदेशक मनीष शर्मा ने कहा, यह पूरे समाज के लिए चिंता की बात है कि आजादी के दशकों बाद भी हम अपने बच्चों को बाल मजदूरी के कोड़े से मुक्त नहीं करा पाए हैं। खिलाओं से खेलने की उम्र में बच्चों को खिलांसा बनाते हुए देखना हम सभी को शर्मसार करने वाली बात है।

इस कार्रवाई के बाद आजाद

पिछले हफ्ते बीबीए, दिल्ली कैंट के एसडीएम, श्रम विभाग और पुलिस की साझा कार्रवाई में नारायणा से 14 बच्चों को मुक्त कराया गया था। इसमें ज्यादातर की सेहत खराब थी

मार्केट के राम बाग रोड पर स्थित दर्जन भर फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया और इनके मालिकों के खिलाफ बाड़ा हिंदू राव थाने में एकआईआर दर्ज कराई गई है। छुड़ाए गए बच्चे बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के हैं।

छुड़ाए जाने के बाद मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी (मध्य दिल्ली) ने इन सभी बच्चों की चिकित्सा जांच की। इसके बाद इन बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें एक आश्रय गृह भेज दिया गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे कोतवाली, दरियागंज के एसडीएम अरविंद राणा ने आदेश में कहा कि इन

फैक्ट्री मालिकों ने बाल एवं किशोर श्रम कानून, बाल न्याय कानून और बंधुआ मजदूरी उन्मुल्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। एसडीएम के आदेश पर पुलिस ने फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ बंधुआ मजदूरी कानून, बाल श्रम कानून, बाल न्याय कानून और ट्रैफिकिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत एकआईआर दर्ज की ली है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले दस दिन में बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराने की बीबीओ की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। पिछले हफ्ते बीबीओ, दिल्ली कैंट के एसडीएम, श्रम विभाग और पुलिस की साझा कार्रवाई में नारायणा से 14 बच्चों को मुक्त कराया गया था। इसमें ज्यादातर की सेहत खराब थी और उनके हाथ-पांव पर जले के निशान थे।

हीट वेव का दौर खत्म, अगले 2-3 दिन होगी देश में झमाझम बारिश

इंडियन मीटिरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आई.एम.डी.) ने एक बड़ी खुशखबरी दी है और बताया कि पूरे भारत में लू का प्रकोप समाप्त हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक दिल्ली-एन.सी.आर. समेत देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। पहले ही आई.एम.डी. ने पहले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 24 मई से 27 मई तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई थी। बिहार-राजस्थान, दक्षिणी भारत के कई इलाकों में हुई तेज आंधी के साथ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं बंगलुरु में बारिश से तबाही भी मची है।

आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया है कि पूरे भारत में आज लू का प्रकोप समाप्त हो

‘हमको जे.डी.ए....

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जे.डी.ए. के अधिकारियों से सवाल पूछ सकती है कि क्यों उनकी कॉलोनी के नियमन के लिए कैप नहीं लगाया गया जबकि उनकी कॉलोनी में सभी मापदण्डों एवं नियमों का पालन किया गया है। उन्होंने बताया कि जे.डी.ए. ने उनके जैसी कई कॉलोनीयों का नियमन किया है परन्तु उनकी कॉलोनी के निवासियों को वंचित रखा है, "इसका क्या कारण है। आप जे.डी.ए. से ही पूछें, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।"

इंडियन मीटिरियॉलॉजिकल डिपार्टमेंट (आई.एम.डी.) ने नये पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आने की भविष्यवाणी की

गया है। आज से तापमान में कमी आएगी और बादल छाए रहेंगे। हमने राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में ओलावृष्टि, आंधी और बारिश को लेकर अर्रंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों तक पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत में भी तूफान के आसार हैं।

बैंकों में कैश की कमी

नई दिल्ली, 24 मई। देश की कुछ बैंक शाखाओं में 2,000 रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया बुधवार को कैश की कमी के कारण अस्थायी तौर पर रोकनी हुई। इससे लोगों को कुछ समय तक इंतजार करना पड़ा। बैंकों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कुछ शाखाओं में 2,000 रुपये के नोट के बदले दिए जाने वाले कम मूल्य के नोट कम पड़े गए। हालांकि कुछ समय बाद करंसी चेस्ट से नोट आ जाने के बाद लोगों को राहत मिल गई।

विभिन्न बैंकों के शीर्ष अधिकारियों ने दावा किया कि शाखाओं में कम मूल्य के नोट की कमी से जुड़ी बड़ी शिकायतें नहीं सामने आई हैं। इसके साथ ही शाखाओं में भीड़ की भी स्थिति नहीं देखने को मिली है। केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक भवेन्द्र कुमार ने कहा, "हम दिल्ली सर्किल में अपनी सभी शाखाओं को 500, 200 और 100 रुपये मूल्य के नोट लगातर पहुंचा रहे हैं ताकि 2,000 रुपये के नोट बदलने का

संजय सिंह ने छापां के संदर्भ में दावा किया कि, ई.डी. ने कोना-कोना मारा, लेकिन कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला

■ संजय सिंह ने ई.डी. के छापां को राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया और कहा कि, मेरे दोस्तों और सहयोगियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है।

संवाददाता सम्मेलन में कहा, पिछले करीब एक साल से भारतीय जनता पार्टी

(भाजपा) के सांसद-प्रवक्ता टीवी डिवेट्स में खुलकर 'आप' लोगों का नाम लेकर कहते हैं कि अब इनको गिरफ्तार करेंगे और ईडी-सीबीआई का छाप पड़ेगा। पूरी दिल्ली में भाजपा एक तय तरीके से 'आप' नेताओं के बारे में खबरें फैलाती है कि आज इससे गिरफ्तार करेंगे।

भाद्राज ने कहा, जिस तरह संजय सिंह का पूरा प्रकरण सामने आया, अगर की ईडी और देश होता या फिर केंद्र सरकार के किसी और पार्टी की सरकार होती तो उसके लिए बेहद शर्मिंदगी का बात थी।